आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : मिर्जापुर, जनपद–सोनभद्र, तहसील :रावर्टसगंज

वाद संख्या – 00527 / 2020

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :– T202008150300457

श्री प्रहलाद स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक श्री गौतम सिंह यादव, बनाम गांव सभा

अंतर्गत धारा:–80, अधिनियम :– उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता – 2006

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सोनभद्र

वाद संख्या: टी202008150300457

अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता।
ग्राम सिल्थरी चुर्क परगना विजयगढ तहसील रावर्टसगंज
जनपद–सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

श्री प्रहलाद स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक गौतम सिंह यादव बनाम गांवसभा

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादि के प्रार्थनापत्र पर प्रारम्भ की गयी। वादि द्वारा यह कहा गया कि विवादित भूमि गाटा संख्या 205, 206, 408 रकबा 0.810 हे0 पर विद्यालय भवन निर्मित है। विवादित भूमि पर उसके द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। वादि द्वारा उपरोक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ वादि द्वारा नकल खतौनी ग्राम सिल्थरीचुर्क खसरा परगना विजयगढ तहसील रावर्टसगंज सलग्न किया है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर तहसीलदार रावर्टसगंज से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार रावर्टसगंज द्वारा अपनी आख्या दिनाक 25.06.2021 में यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि गाटा संख्या 205,206,408 रकबा 0.810 हे0 पर विद्यालय भवन निर्मित है। विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार रावर्टसगंज द्वारा विवादित भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैनें तहसीलदार रावर्टसगंज द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत रिपोर्ट व सलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम सिल्थरीचुर्क, परगना विजयगढ तहसील रावर्टसगंज, स्थित गाटा संख्या 205,206,408 रकबा 0.810 हे0 वर्तमान समय में गैर कृषिक व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग की जा रही है और वादि द्वारा निर्धारित शुल्क मु0 31220/रू चालान सं0 ए963312 द्वारा जमा किया गया है। विवादित भूमि पर इस प्रकार धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिये प्राविधानों के तहत उक्त रकबा कृषि से इत कार्यो में प्रयोग किये जाने के कारण उसे अकृषिक घोषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्तानुसार तहसीलदार रावर्टसगंज की आख्या दिनाक 25.06.2021 के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिल्थरीचुर्क परगना विजयगढ की खतौनी वर्ष 1424–29 की गाटा संख्या 205,206,408 रकबा 0.81 हे0 अभिलेखों में अकृषिक अंकित किया जाय। उपरोक्त रकबा लगान से मुक्त किया जाता है। तहसीलदार रावर्टसगंज की आख्या दिनाक 25.06.2021 इस आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक रावर्टसगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संग्रहित की जाये

दिनांक
25/06/2021

अध्यक्ष
श्री प्रहलाद स्मारक ट्रस्ट

उपजिलाधिकारी
रावर्टसगंज